

### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1186] No. 1186] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

का.आ. 1346(अ.).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 28 अक्तूबर, 2016 में प्रकाशित, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 3348(अ) तारीख 28 अक्तूबर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में खंड 2 में "28 अप्रैल, 2017" अंक, अक्षर एवं शब्दों के स्थान पर "28 अक्तूबर, 2017" अंक, अक्षर एवं शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1(6)/2016-एसपी- I]

जी. एस. साहू, निदेशक (शर्करा नीति)

टिप्पण: मूल आदेश तारीख 28.10.2016 के का.आ. 3348(अ.) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

# MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

## (Department of Food and Public Distribution)

### ORDER

New Delhi, the 28th April, 2017

S.O. 1346(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution number S.O. 3348(E), dated the 28th October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), dated the 28th October, 2016.

In the said notification, in clause 2, for the figures, letters and words "28th day of April, 2017", the figures, letters and words "28th October, 2017" shall be substituted.

[F. No. 1(6)/2016-SP-I]

G. S. SAHU, Director (Sugar Policy)

**Note**: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3348(E) dated 28.10.2016.